(CNR NO- UPPB040258622022)
(J.O. Code-U.P.2145)

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।
उपस्थितः सुन्दर पाल..............................उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
परिवाद सं0–17289/2022
उत्तर प्रदेश राज्य (अनन्त स्वरूप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत) (परिवादी)

बनाम

1. संजय अग्रवाल पुत्र श्री जगत नरायन अग्रवाल निवासी–47 इनायतगंज थाना सुनगढ़ी जिला पीलीभीत।

.... **अभियुक्त।**

धारा–26/51, 58 व 59(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006
थाना–सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद, परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनन्त स्वरूप द्वारा अभियुक्त संजय अग्रवाल के विरूद्ध धारा–26/51,58 व 59(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्यायालय में विचारण हेतु संस्थित किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने पर विचारण किया गया।

संक्षेप में परिवादपत्र में वर्णित कथानक परिवादी के कथनानुसार इस प्रकार है कि मैंने बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जनपद–पीलीभीत, दिनांक 29.10.2021 को समय लगभग 11.45 **AM/PM,** पर स्थान–आसाम चौराहा, निकट मण्डी समिति अन्तर्गत थाना–सुनगढी, जिला–पीलीभीत में स्थित फर्म दुर्गा राइस ट्रेडर्स, का निरीक्षण, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के आदेश दिनांक 26.10.2021 के अनुपालन में, अभिहित अधिकारी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पीलीभीत के नेतृत्व व निर्देशन एवं गवाहन तथा खाद्य कारोबारी की उपस्थिति में, अपने पद का परिचय देने के उपरान्त किया। मौके पर कारोबार संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना नाम व पता उपरोक्त बताया गया तथा उक्त व्यवसाय स्वयं के निमित्त करना बताया गया एवं उक्त से सम्बन्धित आवश्यक खाद्य पजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–22720193000254 अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 माँगने पर प्रस्तुत किया गया। दौरान निरीक्षण प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ, लगभग 120 पैकेट/बैग विभिन्न ब्राण्ड के बासमती चावल, सार्वजनिक बिक्रय हेतु भण्डारित पाये गये, जिसमें से वास्ते नमूना जॉच हरी पत्ती, रॉयल ब्राण्ड के 25 कि0ग्राम बजन के एक बैग को खुलवाकर 02 किलोग्राम बासमती चावल, मूल्य खाद्य कारोबारी की मांग के अनुसार रूपये 152.00 नकद भुगतान कर खरीदे एवं नमूना भुगतान रसीद तैयार कर खाद्य कारोबारी से

Digitally signed by SUNDAR PAL
Date: 2025.10.28 10:54:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हस्ताक्षर कराये। तत्काल इस आशय का नोटिस फार्म–5 ए तैयार कर, एक प्रति खाद्य कारोबारी को देने के उपरानत प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये। तत्पश्चात खरीदे गये, बासमती चावल को बराबर–बराबर चार साफ उपरान्त सूखे कन्टेनरो/शीशियों में भरकर नमूना से सम्बन्धित लेबिल लगाने तथा मोटे बांसी पेपर से रैप करने के उपरान्त अभिहित अधिकारी/सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–**II,** खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षरित कोड स्लिप संख्या–**PBT/2021-22/125** को चिपकाने के बाद, नमूना नियमानुसार सील मुहर किया गया एवं खाद्य कारोबारी से नमूना से सम्बन्धित समस्त कागजातों तथा नमूना के चारो सील बन्द भागों पर नियमानुसार हस्ताक्षर कराये। खाद्य कारोबारी के द्वारा उपरोक्त हरी पत्ती, रॉयल ब्राण्ड बासमती चावल से सम्बन्धित क्रय बिल/टैक्स इन्वॉयस मॉगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उपस्थित स्थानीय एवं स्वतन्त्र व्यक्तियों से गवाही हेतु आग्रह किया गया, परन्तु उनमें से श्री दिनेश बरुआ पुत्र श्री के. एल. बरुआ, निवासी आई.टी.आई. के सामने, शिव नगर कालौनी, पीलीभीत, पोस्ट–पीलीभीत, थाना कोतवाली पीलीभीत, जिला–पीलीभीत के द्वारा बतौर स्योरिटी एवं साक्षी हस्ताक्षर किया गया। खाद्य कारोबारी की ख्याति सामान्य है तथा वार्षिक टर्न ओवर मु0–12 लाख रूपये तक बताया गया। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा नमूने का चतुर्थ भाग को प्रत्यायित प्रयोगशाला से जॉच कराने का कोई अनुरोध मौके पर नहीं किया गया। नूमने से सम्बन्धित कार्यवाही विधिवत पूर्ण किये जाने के पश्चात, नमूने के एक भाग को मय मेमोरेण्डम के खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच हेतु पंजीकृत डाक पार्सल द्वारा दिनांक 30.10.2021 को प्रेषित किया तथा मेमोरेण्डम की एक प्रति पृथक से मय नमूना मुहर के पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 30.10.2021 को प्रेषित की गयी। नमूने के शेष दो अन्य भाग एक सील्ड पैकेट में तथा नमूने का चतुर्थ भाग एक अन्य सील्ड पैकेट में, खाद्य कारोबारी उपरोक्त के द्वारा धारा–47(1)(C)(iii) के अन्तर्गत, जाँच हेतु प्रत्यायित प्रयोगशाला न भिजवाये जाने के कारण सील बन्द पैकिट में अभिहित अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में दिनांक 29.10.2021 को प्रपत्र 6 सहित जमा किये गये । उक्त समस्त कार्यवाही सद्भावपूर्वक जनहित में की गई है। उपरोक्त नमूने से सम्बन्धित खाद्य विश्लेषक उ0प्र0 लखनऊ की जॉच रिपोर्ट संख्या–21000009633, दिनाक 02.04.2022 जी आवेदनकर्ताको कार्यालय द्वारा दिनाक 01. 06.2022 कोद सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–।।. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 31.05.2022 सहित प्राप्त करायी गयी तथा कारोबारी उपरोक्त की जाँच रिपोर्ट की प्रति एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 के नियम 2.4.6 के अनार्गत अनिहित अधिकारी/सहायक आयुश (खाद्य) ग्रेड–।।, पीलीभीत के द्वारा दिनांक–31.05. 2022 को प्रेषित की गयी। उपरोक्त नमूना के सम्बन्ध में खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा निम्न राय व्यक्त की गई है–ON THE BASIS OF TEST PERFORMED] LIVING/DEAD INSECTS ARE PRESENT IN THE SAMPLE WHICH HARMFUL (स्कूटनी) के आधार पर अभिहित अधिकारी, पीलीभीत का अभिमत है कि उपरोक्त रिपोर्ट कारावास व अर्थदण्ड से दण्डनीय है । खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेरे द्वारा उपरोक्त नमूने से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को संलग्न कर अपनी रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति हेतु दिनांक 07.06.2022 को अभिहित अधिकारी, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत की गयी। नमूने से सम्बन्धित समस्त कागजातों का अध्ययन अवलोकन के उपरान्त श्री शशांक त्रिपाठी, अभिहित अधिकारी/सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–।। खाद्य सुरक्षा एवं

औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में विहित प्राविधानुसार प्रतिवादी उपरोक्त के विरूद्ध वाद स्वीकृति हेतु संस्तुति पत्र आयुक्त महोदय को दिनाक 10.06.2022 को प्रेषित किया गया। अभिहित अधिकारी, पीलीभीत द्वारा धारा 46 (4) के अन्तंगत खाद्य कारोबारकर्ता को भेजे गये पत्र के क्रम में नमूना रेफरेल लैब से जांच कराने हेतु खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा फार्म–VIII पर दिनांक 02.07.2022 को अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर निर्णय लेते हुये अभिहित अधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनांक–16.07.2022 को उक्त नमूने को पुनः जाँच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता को दिनाक 16.07.2022 को कार्यालय द्वारा भेजा गया। निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता ने अपने जांच प्रमाण पत्र संख्या G-14-8/2022-1931D, दिनांक 31.08.2022 के द्वारा नमूने के सम्बन्ध में निम्न अभिमत व्यक्त किया है–"THE SAMPLE DOES NOT CONFORM TO THE STANDARD LAID DOWN UNDER REGULATION No-2.4.6-24 OF FOOD SAFETY AND STANDARDS (FOOD PRODUCTS STANDARDS AND FOOD ADDITIVES) REGULATIONS 2011 AS IT SHOWS DAMAGED KERNELS HIGHER THAN THE PRESCRIBRD LIMIT. SHOWS PRESENCE OF LIVE INSECTS-HENCE, THE SAMPLE IS SUB-STANDARD & UNSAFE SAMPLE ALSO UNDER SECTION 3(1) (zx) & 3(1) (zz) (ix) OF FSS ACT, 2006" चूंकि निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, कोलकता का जाँच प्रमाण पत्र, खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 लखनऊ की जाँच रिपोर्ट को सुपरसीड करता है। इस प्रकार उपरोक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की परिभाषित धारा–3(1) (zx) एवं धारा–3(1)(zz) (ix) के अनुसार क्रमशः अवमानक एवं असुरक्षित है। अतः खाद्य कारोबारकर्ता उपरोक्त के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–26 (2) (ii)&(i) का उल्लंघन किया है, जो कि इसी अधिनियम की धारा–51 एवं धारा–59 (i) के अन्तर्गत दण्डनीय है, साथ ही खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा बिना बाउचर के खाद्य पदार्थ का क्रय कर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–27(3) (क) का भी उल्लंघन किया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अभिहित अधिकारी, पीलीभीत के अभियोजन सर सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों का अध्ययन व अवलोकन करने के पश्चात् उपरोक्त खाद्य कारोबारी के विरूद्ध संस्तुति पत्र एवं नमूने से जनहित को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–30(2)(e) की शक्ति का प्रयोग करते हुये अभियोजन दायर करने की लिखित सहमति/स्वीकृति अपने पत्रांक एफ.एस.डी.ए./वाद स्वीकृति पत्र/14179/2022/5033 (1–2) दिनांक 07.10.2022 द्वारा प्रदान की है। अतः अभियुक्त संजय अग्रवाल पुत्र श्री जगत नरायन अग्रवाल निवासी–47 इनायतगंज थाना सुनगढ़ी जिला पीलीभीत के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही की याचना की गयी है। यह परिवाद परीक्षण हेतु संस्थित किया गया है।

परिवादपत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त संजय अग्रवाल के विरूद्ध उपरोक्त अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को उक्त अपराध में तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया और उसके द्वारा अपनी जमानत करायी गयी।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त संजय अग्रवाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–26 / 51,58 एवं 59(i) खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2023 को बयान मुल्जिम विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन/परिवादी पक्ष की ओर से अपने परिवादपत्र के समर्थन में साक्षी अनन्त स्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पी0डब्लू0–1 के रूप में, तलहा खालिद कनिष्ठ सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पी0डब्लू0–2 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियुक्त संजय अग्रवाल का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें उसने घटना को गलत बताये हुए मुकदमा झूंठा चलना बताया तथा अतिरिक्त कथन किया है कि स्वयं को निर्दोष होना कहा है तथा बचाव साक्ष्य देने का कथन किया गया है।

बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया। परन्तु बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

अभियोजन/परिवादी की ओर से अपने कथानक के समर्थन में साक्षी पी0डब्लू0–1 अनन्त स्वरूप राना खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं दिनांक 29.10.2021 को जनपद पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन 11.45 बजे दिन आसाम चौराहा निकट मंडी समिति पर स्थित दुर्गा राईस ट्रेडर का निरीक्षण टीम की उपस्थिति में किया। टीम का आदेश सलंग्न है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दौरान निरीक्षण प्रतिष्ठान में परिसर में 120 पैकट विभिन्न प्रकार के बांसमती चावल विक्रय हेतु भंडारित पाये। जिसमें से नमूना वास्ते जाँच हरीपत्ती रॉयल चावल के बैग को खुलवाकर दो किलोग्राम बांसमती चावल मूल्य 152/–रूपये नकद देकर खरीदा। तथा अपने लेख खरीदारी रशीद तैयार की जिस पर विक्रेता संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर कराये। खरीदारी रशीद पत्रावली पर संलग्न है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मौके पर मेरे द्वारा निरीक्षीण पत्र तैयार किया गया जो पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मौके पर मेरे द्वारा नोटिस फार्म क–5 इस आशय से तैयार किया कि नमूना जाँच के लिय भेजा जायेगा उक्त नोटिस की एक प्रति विक्रेता को देने के बाद प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये। नोटिस की मूल प्रति पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला

गया। खरीदे गये चावल को चार साफ सूखे प्लास्टिक डिब्बों में भरा गया। जिस पर नमूनों से संबंधित लेविल लगाय गया। सभी डिब्बों को अलग अलग मोटे वासी कागड में लपेटकर नियमानुसार सील किया गया। सीलबन्द डिब्ब नमूना चारों भागों पर नियमानुसार विक्रेता के हस्ताक्षर कराये। उक्त नमूना से संबंधित मेमोरेन्डम अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। जिसमें नमूने में प्रयुक्त सील की छाप लगायी नमूने के एक भाग को मेमोरेन्डम के साथ जाँच हेतु खाद्य विशलेषक को पंजीकृत जाक से भेजा। मेमोरेन्डम की एक प्रति अलग से खाद्य विशलेषक को जाक द्वारा भेजी गई। डाक रसीदों को सत्यापित प्रतियां पत्रावली पर मौजूद है। जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–5 व क–6 डाला गया। नमूने के शेष तीन भागों के मेमोरेन्डम के साथ कार्यालय में 29.10.2021 को जमा किया गया। नमूना सील करने में डी0ओ0 पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित कोर्ट स्लीप सं0–PBT/2021-22/125 का प्रयोग किया गया। मेमोरेन्डम की प्रति संलग्न पत्रावली है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। मौके पर मेरे द्वारा स्थानीय लेख तैयार किया गया। जिस पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये गये जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पैकेट में सील लगे चावल को उसी हरीपत्ती रॉयल ब्रांड के मूल पैकेट में सील कर विक्रेता की अभिरक्षा में दिया गया। तथा नमूना से संबंधित प्रपत्र 2,3,4 तैयार कर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये जो पत्रावली पर मौजूद हैं। जिस पर प्रदर्श क–9, 10, 11 डाला गया। पैकेट से संबंधित लेविल की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। उक्त नमूने की जाँच उपरान्त रिपोर्ट सं0–21000009633 दिनांक 02.04.2022 मुझे कार्यालय द्वारा प्राप्त कराई जिसमें नमूना मानव उपयोग हेतु असुरक्षित पाया गया। रिपोर्ट पर डॉ0 एस0के0 वर्मा व हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट की मूल प्रति पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेरे द्वारा नमूने से संबंधित सभी प्रपत्रों को संलग्न कर वाद चलाए जाने की सहमति पत्र प्राप्ति हेतु आबेदन पत्र तैयार किया। तथा अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.06.2022 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र की मूलप्रति पत्रवाली में मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। अभिहित अधिकारी महोदय द्वारा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त विक्रेता के विरूद्ध वाद चलाये जाने की संस्स्वीकृति आयुक्त महोदय लखनऊ को दिनांक 10.06.2022 को भेजी गई। संस्वीकृत पत्र पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के कारण विक्रेता द्वारा नमूने का पुनः जाँच कराये जाने का प्रपत्र 8 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। उक्त आवेदन पर निर्णय लेते हुए अभिहित अधिकारी पीलीभीत द्वारा नमूना पुनः जाँच हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा गया।

उक्त नमूने की जाँच उपरान्त निदेशक राष्ट्रीय प्रयोगशाला कोलकाता द्वारा जाँच प्रमाणपत्र सं0–**G-14-8/2022-19310** दिनांक 21.08.2022 द्वारा नमूना अवमानक व असुरक्षित घोषित किया गया है। जाँच प्रमाणपत्र की मूल प्रति पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया। नमूने से संबंधित दोनो जाँच रिपोर्ट तथा अन्य कागजातों का अध्यन व अवलोकन करने के उपरान्त विक्रेता के विरूद्द वाद चलाये जाने की लिखित सहमति मुझे प्रदान की गयी है। सहमति पत्र मुझे आयुक्त लखनऊ द्वारा प्रदान की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया। सहमतिपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त मेरे द्वारा परिवाद पत्र तैयार किया गया। तथा नमूने से संबंधित सबी कागजातों को संलग्न कर माननीय न्यायालय में दिनांक 19.10.2022 को दायर किया गया परिवाद पत्र की मूलप्रति पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–19 डाला गया। इसकी सूचना कार्यालय मे दी।

इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि 29.10.2021 को हम चार लोग कार्यालय से रवाना हुए थे। मैं नहीं बता सकता उस दिन कोई विशेष अभियान के तहत रवाना हुए थे या नहीं। मैं नहीं बता सकता कि उस दिन कुल कितने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कथित घटना के समय कोरोनाकाल नहीं था। कथित घटना के समय प्लास्टिक 50एम0एम0 के नीचे बैग बंद थे। बोतल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि प्रतिबंधित है या नहीं। हम मूमेंट रजिस्टर पर रवानगी दर्ज करते हैं व वापसी भी समय लिखकर दर्ज करते हैं। जाने का समय बता सकता हूँ आने का समय बिना मूमेंट रजिस्टर देखे नहीं बता सकता। आज मेरे सामने इस पत्रावली पर मूमेंट रजिस्टर को कोई प्रति पत्रावली पर मौजूद नहीं है। विभाग में या हमारे पास व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई रजिस्टर नहीं होता है जिसमें साथ ले जाने वाली सामग्री की एंट्री की जाए। सीलिंग का सामान हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उसका भुगतान भी विभाग द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जाता है। अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर खुला चावल नहीं था सब सील बंद पैकेट थे। जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा निर्मित ब्राण्ड के थे। जिस चावल का नमूना लिया गया वो हरी पत्ती रॉयल ब्राण्ड का था। मुझे नहीं मालूम हरी पत्ती रॉयल ब्राण्ड कंपनी कहां की है। अभियुक्त द्वारा निर्मित कोई पैकेट स्टाक में नहीं था और न ही खुला चावल था। मेरे द्वारा एक पैकेट को खोलकर नमूना लिया गया। जनता का एक गवाह जिसका नाम दिनेश बरूआ था उसे गवाह बनाया था यह गवाह मुझे दुकान पर ही मिला था यह कुछ खरीदने आया था या बेचने अथवा किस कार्य से आया था मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मैंने कोरे प्रपत्रों पर साक्षी के हस्ताक्षर करा लिये हो और उसे न पता हो कि किस बाबत हस्ताक्षर कर रहा है। कुल सात प्रपत्र तैयार किये गये थे। लेवल को छोडकर साक्षी व

दुकानदार के हस्ताक्षर कराए गये थे। विभाग की टीम के हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। नियमानुसार सैंपिल लेने के बाद प्रयोगशाला में प्राप्त कराने के चौदह दिन के अन्दर परीक्षण हो जाना चाहिए था। प्रयोगशाला नमूना पहुंचने के बाद चौदह दिन के अन्दर जांच हो जाना चाहिए। प्रयोगशाला में नमूना 08.11.2021 को प्राप्त हो गया था रिपोर्ट प्रदर्श क–13 के अनुसार नमूने का परीक्षण 22.12.2021 से 01.04.2022 के बीच किया गया है। मुझे नहीं पता कि फूड एनालिस्ट लखनऊ द्वारा विभाग को समयावधि बीत जाने के बाद परीक्षण हेतु कारणों के बारे मे सूचित किया हो मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। मुझे पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी पीलीभीत द्वारा संजय अग्रवाल को प्रेषित की गयी थी। दिनांक 31.05.2022 को पत्र के माध्यम से सूचित किया था ये पत्र संजय अग्रवाल को प्राप्त हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता। वाद स्वीकृति पत्र प्रदर्श क–18 मेरे सामने टाईप नहीं हुआ। न ही हस्ताक्षर मेरे सामने हुए थे किन्तु मैं हस्ताक्षर पहचानता हूँ। दूसरे गवाह को ढूंढने व बुलाने का प्रयास किया किन्तु लोग तैयार नहीं हुए। हमने सैंपिल प्लास्टिक डिब्बों में लिया था भले ही कागजातों में कंटेनर/शीशियों में भरकर लेना लिखा गया है। कंटेनर/शीशियां कैसे लिख गया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। परिवाद पत्र में समय 11.45 ए.एम./पी.एम. लिखा है इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकता। सभी प्रपत्रों पर ए.एम. /पी.एम. व कंटेनर/शीशियां लिखा हुआ है कोई निश्चित समय व वस्तु नहीं लिखा है ये रूटीन में लिख गया है मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मैंने दुकानदार से कोई कंप्यूटराईजड बिल नहीं लिया था। अपने क्रय रसीद पर हस्ताक्षर कराए थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बैजा तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों के दबाव में दिवाली का समय होने के कारण कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य से गलत तरीके से सैंपिलिंग ली हो और गलत कार्यवाही की हो और यह गलत परिवाद मा0 न्यायालय में दायर कर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन/परिवादी की ओर से अपने परिवादपत्र में वर्णित कथानक के समर्थन में साक्षी पी0डब्लू0–2 तलहा खालिद को परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि वाद सं0 उपरोक्त से संबंधित नमूना सं0–**PBT/2021-22/125** किस्म बासमती चावल रॉयल ब्राण्ड से संबंधित खाद्य कारोबार्ता संजय अग्रवाल पुत्र श्री जगतनरायन अग्रवाल निवासी 47 इनायतगंज पो0 पीलीभीत थाना सुनगढ़ी पीलीभीत को नमुना से संबंधित जांच रिपोर्ट सं0–21000009633 दिनांक 02.04.2022 की प्रति पत्र के साथ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी जनपद

पीलीभीत द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से सं0–RU416529264IN दिनांक 02.06.2022 को प्रेषित की गयी। जो डिस्पैज रजिस्टर के पेज सं0–14 के क्रम सं0–36 पर अंकित है। डाक रसीद की मूल प्रति आज पत्रावली में सम्मिलित कर रहा हूँ। जिस पर प्रदर्श क–20 डाला गया। भेजे गये पत्र की प्रति पत्रावली पर मौजूद है जिस पर सहायक खाद्य आयुक्त II पीलीभीत के हस्ताक्षर हैं जिसको मैंने लिफाफे में रखकर भेजा था उसी की द्वितीय प्रति है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–21 डाला गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच आख्या से संतुष्ट न होने के कारण नियमानुसार फार्म VIII पर दिनांक 02.04.2022 को अपील की गयी। अपील से संबंधित पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर रहा हूँ। अपील पर निर्णय लेते हुए अभिहित अधिकारी पीलीभीत द्वारा निदेशक रेफरर फुड लैब कोलकाता को पुनः जांच हेतु नमूना 16.07.2022 को भेजा गया। जिसके मैमोरेण्डम की मूल प्रति पत्रावली में सम्मिलित कर रहा हूँ।

इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी नियुक्ति 13 सितंबर 2021 को हुई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे जांच रिपोर्ट किस दिनांक को प्राप्त हुई। मैंने 02.06. 2022 को पंजीकृत डाक से भेजी थी। इस मुकदमें का सैंपल प्रयोगशाला भेजे जाने व परीक्षण रिपोर्ट आने के बीच पांच माह के अन्तराल में मुझे प्रयोगशाल लखनऊ द्वारा इस मुकदमें के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। पंजीकृत डाक से जांच रिपोर्ट की प्रति 46(4) से संबंधित पत्र भेजा गया था। रजिस्टर्ड डाक के साथ कोई ए0डी0 नहीं लगाया गया था। संजय अग्रवाल पर रजिस्ट्री की व्यक्तिगत तामील हुई या नहीं मुझे नहीं पता मेरे पास रजिस्ट्री लोटकर कार्यालय में वापस नहीं आयी। रेफरल प्रयोगशाल कोलकाता की कोई रिपोर्ट संजय अग्रवाल को नहीं भेजी गयी। रिपोर्ट न भेजे जाने की मैं वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने रजिस्टर्ड लिफाफे में लखनऊ प्रयोगशाला की रिपोर्ट न भेजी हो। और संजय अग्रवाल को कोई रजिस्ट्री प्राप्त न हुई हो। यह कहना भी गलत है कि मैं विभागीय कर्मचारी होने के नाते झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन/परिवादी पक्ष द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अपने साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाये। जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष/ परिवादी द्वारा घ टना का कोई स्वतन्त्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस तारीख को परिवादी द्वारा अभियुक्त की प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, उस समय दुकान पर बासमती राईस की बिक्री

नही हो रही थी, इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। अतः परिवादी/अभियोजन अपने साक्ष्य द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

अभियोजन/परिवादी एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुनने के उपरान्त न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या दिनांक 29.10.2021 समय लगभग 11.45बजे ए0एम0/पी0एम0 पर वाहद स्थान आसाम चौराहा निकट मण्डी समिति थाना सुनगढ़ी जिला पीलीभीत में स्थित फर्म दुर्गा राईस ट्रेडर्स का निरीक्षणकर्ताओं के निरीक्षण के दौरान अभियुक्त संजय अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर 120पैकेट/बैग विभिन्न ब्राण्ड बासमती चावल भण्डारित पाये गये, जिसमें से निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा हरीपत्ती रॉयल, ब्राण्ड 25 किलोग्राम के बैग को खुलवाकर 02 किलोग्राम बासमती चावल मु0–152/–रूपये भुगतान कर जॉच हेतु क्रय किया गया तथा उक्त बासमती चावल का नमूना जॉच विश्लेषक की रिपोर्ट में अवमानव एवं असुरक्षित पाया गया ?

सर्वप्रथम न्यायालय को अवमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों को देखना है–

<u>धारा–3(1) (zx), अवमानक</u> से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जायेगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नही करता है।

<u>धारा–3(1) (zz), असुरक्षित खाद्य</u> से कोई ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसकी प्रकृति पदार्थ या क्वालिटी इस प्रकार प्रभावित है जो इसे निम्नलिखित कारण से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है–

(i) स्वतः वस्तु या उसके पैकेज से, जो पूर्णतः या भागतः विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना है; या

(ii) उस वस्तु से जो पूर्णतः या भागतः गंदे, दूषित, सड़े, गले या रूग्ण पशुजन्य पदार्थ या वनस्पतिजन्य पदार्थ से बनी है; या

(iii) उसके अस्वास्थ्यकर प्रसंस्करण के कारण या उस वस्तु में किसी हानिकारक पदार्थ की विद्यमानता से; या

(iv) किसी घटिया या सस्ते पदार्थ के अनुकल्प द्वारा चाहे वह पूर्णतः हो या भागतः;

(v) किसी पदार्थ को सीधे या किसी संघटक के रूप में, जो अनुज्ञेय नहीं है, मिलाकर; या

(vi) उसके किसी संघटक को पूर्णतः या भागतः निकालकर; या

(vii) पदार्थ को इस प्रकार रंजित, सुरुचिकारक या विलोपित, चूर्णीकृत या पालिशीकृत करके जिससे पदार्थ को नुकसान होता हो या वह इस प्रकार छिपाया जाता है या उस पदार्थ को उससे बेहतर या अधिक मूल्य का प्रकट करना जैसा कि वह वास्तव में है; या

(viii) किसी रंजक पदार्थ या परिरक्षी को, उससे भिन्न जो उसकी बाबत विनिर्दिष्ट किया गया है, उसमें मिलाकर; या

(ix) उन पदार्थों से जो कृमियों, घुन या कीटों से विसंक्रमित या ग्रसित हैं; या

(x) उनको तैयार किये जाने, पैक किये जाने या अस्वास्थ्यकर दशाओं में रखे जाने से;

(xi) उसके मिथ्या छाप वाली या अवमानक होने या खाद्य में बाह्य पदार्थ होने से; या

(xii) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक नाशक जीवमार और अन्य संदीषक अंतर्विष्ट होने के कारण।

इस प्रकार न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया। अभियोजन/परिवादी के कथानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जनपद–पीलीभीत द्वारा दिनांक 29.10.2021 को समय लगभग 11.45 **AM/PM,** पर स्थान–आसाम चौराहा, निकट मण्डी समिति अन्तर्गत थाना–सुनगढी, जिला–पीलीभीत में स्थित फर्म दुर्गा राइस ट्रेडर्स, का निरीक्षण, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के आदेश दिनांक 26.10.2021 के अनुपालन में, अभिहित अधिकारी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पीलीभीत के नेतृत्व व निर्देशन एवं गवाहन तथा खाद्य कारोबारी की उपस्थिति में, अपने पद का परिचय देने के उपरान्त किया गया। मौके पर कारोबार संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना नाम व पता उपरोक्त बताया गया तथा उक्त व्यवसाय स्वयं के निमित्त करना बताया गया एवं उक्त से सम्बन्धित आवश्यक खाद्य पजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–22720193000254 अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 माँगने पर प्रस्तुत किया गया। दौरान निरीक्षण प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ, लगभग 120 पैकेट/बैग विभिन्न ब्राण्ड के बासमती चावल, सार्वजनिक बिकय हेतु भण्डारित पाये गये, जिसमें से वास्ते नमूना जॉच हरी पत्ती, रॉयल ब्राण्ड के 25 कि0ग्राम बजन के एक बैग को खुलवाकर 02 किलोग्राम बासमती चावल, मूल्य खाद्य कारोबारी की मांग के अनुसार रूपये 152.00 नकद भुगतान कर खरीदे एवं नमूना भुगतान रसीद तैयार कर खाद्य कारोबारी से हस्ताक्षर कराये। तत्काल इस आशय का नोटिस फार्म–5 ए तैयार कर, एक प्रति खाद्य कारोबारी को देने के उपरानत प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये। तत्पश्चात खरीदे गये, बासमती चावल को बराबर–बराबर चार साफ उपरान्त सूखे कन्टेनरो/शीशियों में भरकर नमूना से सम्बन्धित लेबिल लगाने तथा मोटे बांसी पेपर से रैप करने के उपरान्त अभिहित अधिकारी/सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–**II,** खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षरित कोड स्लिप संख्या–**PBT/2021-22/125** को चिपकाने के बाद, नमूना नियमानुसार सील मुहर किया गया एवं खाद्य कारोबारी

से नमूना से सम्बन्धित समस्त कागजातों तथा नमूना के चारो सील बन्द भागों पर नियमानुसार हस्ताक्षर कराये। खाद्य कारोबारी के द्वारा उपरोक्त हरी पत्ती, रॉयल ब्राण्ड बासमती चावल से सम्बन्धित कय बिल/टैक्स इन्वॉयस मॉगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उपस्थित स्थानीय एवं स्वतन्त्र व्यक्तियों से गवाही हेतु आग्रह किया गया, परन्तु उनमें से श्री दिनेश बरुआ पुत्र श्री के. एल. बरुआ, निवासी आई.टी.आई. के सामने, शिव नगर कालौनी, पीलीभीत, पोस्ट–पीलीभीत, थाना कोतवाली पीलीभीत, जिला–पीलीभीत के द्वारा बतौर स्योरिटी एवं साक्षी हस्ताक्षर किया गया। खाद्य कारोबारी की ख्याति सामान्य है तथा वार्षिक टर्न ओवर मु0–12 लाख रूपये तक बताया गया। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा नमूने का चतुर्थ भाग को प्रत्यायित प्रयोगशाला से जॉच कराने का कोई अनुरोध मौके पर नहीं किया गया। नूमने से सम्बन्धित कार्यवाही विधिवत पूर्ण किये जाने के पश्चात, नमूने के एक भाग को मय मेमोरेण्डम के खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच हेतु पंजीकृत डाक पार्सल द्वारा दिनांक 30.10. 2021 को प्रेषित किया तथा मेमोरेण्डम की एक प्रति पृथक से मय नमूना मुहर के पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 30.10.2021 को प्रेषित की गयी। नमूने के शेष दो अन्य भाग एक सील्ड पैकेट में तथा नमूने का चतुर्थ भाग एक अन्य सील्ड पैकेट में, खाद्य कारोबारी उपरोक्त के द्वारा धारा–47(1)(C)(iii) के अन्तर्गत, जाँच हेतु प्रत्यायित प्रयोगशाला न भिजवाये जाने के कारण सील बन्द पैकिट में अभिहित अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में दिनांक 29.10.2021 को प्रपत्र 6 सहित जमा किये गये । उक्त समस्त कार्यवाही सद्भावपूर्वक जनहित में की गई है। उपरोक्त नमूने से सम्बन्धित खाद्य विश्लेषक उ0प्र0 लखनऊ की जॉच रिपोर्ट संख्या–21000009633, दिनाक 02.04.2022 जी आवेदनकर्ताको कार्यालय द्वारा दिनाक 01.06.2022 कोद सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 31.05.2022 सहित प्राप्त करायी गयी तथा कारोबारी उपरोक्त की जाँच रिपोर्ट की प्रति एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 के नियम 2.4.6 के अनार्गत अनिहित अधिकारी/सहायक आयुश (खाद्य) ग्रेड–।।, पीलीभीत के द्वारा दिनांक–31.05.2022 को प्रेषित की गयी। उपरोक्त नमूना के सम्बन्ध में खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा निम्न राय व्यक्त की गई है–ON THE BASIS OF TEST PERFORMED, LIVING/DEAD INSECTS ARE PRESENT IN THE SAMPLE WHICH HARMFUL FOR HUMAN CONSUMPTION, HENCE THE SAMPLE IS UNSAFE (स्कूटनी) के आधार पर अभिहित अधिकारी, पीलीभीत का अभिमत है कि उपरोक्त रिपोर्ट कारावास व अर्थदण्ड से दण्डनीय है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेरे द्वारा उपरोक्त नमूने से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को संलग्न कर अपनी रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति हेतु दिनांक 07.06.2022 को अभिहित अधिकारी, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत की गयी। नमूने से सम्बन्धित समस्त कागजातों का अध्ययन अवलोकन के उपरान्त श्री शशांक त्रिपाठी, अभिहित अधिकारी/सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद–पीलीभीत के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में विहित प्राविधानुसार प्रतिवादी उपरोक्त के विरूद्ध वाद स्वीकृति हेतु संस्तुति पत्र आयुक्त महोदय को दिनाक 10.06.2022 को प्रेषित किया गया। अभिहित अधिकारी, पीलीभीत द्वारा धारा 46 (4) के अन्तंगत खाद्य कारोबारकर्ता को भेजे गये पत्र के क्रम में नमूना रेफरेल लैब से जांच कराने हेतु खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा फार्म–VIII पर दिनांक 02.07.2022 को अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर निर्णय लेते हुये अभिहित अधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनांक–16.07.

2022 को उक्त नमूने को पुनः जाँच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता को दिनाक 16.07.2022 को कार्यालय द्वारा भेजा गया। निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता ने अपने जांच प्रमाण पत्र संख्या **G-14-8/2022-1931D,** दिनांक 31.08.2022 के द्वारा नमूने के सम्बन्ध में निम्न अभिमत व्यक्त किया है–"THE SAMPLE DOES NOT CONFORM TO THE STANDARD LAID DOWN UNDER REGULATION No-2.4.6-24 OF FOOD SAFETY AND STANDARDS (FOOD PRODUCTS STANDARDS AND FOOD ADDITIVES) REGULATIONS 2011 AS IT SHOWS DAMAGED KERNELS HIGHER THAN THE PRESCRIBRD LIMIT. SHOWS PRESENCE OF LIVE INSECTS- HENCE, THE SAMPLE IS SUB-STANDARD & UNSAFE SAMPLE ALSO UNDER SECTION 3(1) (zx) & 3(1) (zz) (ix) OF FSS ACT, 2006" चूंकि निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, कोलकता का जाँच प्रमाण पत्र, खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 लखनऊ की जाँच रिपोर्ट को सुपरसीड करता है। इस प्रकार उपरोक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की परिभाषित धारा–3(1) (zx) एवं धारा–3(1)(zz) (ix) के अनुसार क्रमशः अवमानक एवं असुरक्षित है। अतः खाद्य कारोबारकर्ता उपरोक्त के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–26 (2) (ii)&(i) का उल्लघन किया है, जो कि इसी अधिनियम की धारा–51 एवं धारा–59 (i) के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अभियोजन/परिवादी की ओर से अपने परिवादपत्र में वर्णित कथानक के समर्थन में साक्षी पी0डब्लू0–1 अनन्त स्वरूप राना खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित करके परीक्षित कराया गया। यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादपत्र में वर्णित कथानक का समर्थन किया है, किन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि मैं नही बता सकता उस दिन कोई विशेष अभियान के तहत रवाना हुए थे या नही। मैं नही बता सकता कि उस दिन कुल कितने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि इस साक्षी को यह जानकारी नही है कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर दिनांक 29.10.2021 को किसी विशेष अभियान के तहत निरीक्षण किया गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी पीलीभीत द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.2021 में दिनांक 26.10.2021 से दिनांक 02.11.2021 तक विशेष अभियान चलाये जाने का उल्लेख किया गया है तथा परिवादी पी0डब्लू0–1 द्वारा भी अभियुक्त के प्रतिष्ठान का दिनांक 29.10.2021 को विशेष अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से यह भी स्पष्ट नही है कि उनके द्वारा दिनांक 29.10.2021 को अन्य कितने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जबकि विशेष अभियान के तहत मात्र एक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जाना विश्वास योग्य नही है।

पी0डब्लू0–1 ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर खुला चावल नही था, सब सील बन्द पैकेट थे जो विभिन्न कम्पनियों के द्वारा निर्मित ब्राण्ड के थे। जिस चावल का नमूना लिया गया वो हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड का था, मुझे नही मालूम हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड कम्पनी कहा की है। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानो से स्पष्ट है कि परिवादी एवं उसकी टीम द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से दिनांक 29.10.2021 को निरीक्षण के दौरान सीलबन्द चावल के पैकेटों में से 02 किलोग्राम चावल का नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर बिक्री हेतु भण्डारित चावल विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित किये गये थे किन्तु पी0डब्लू0–1 द्वारा अपने परिवादपत्र में किसी भी कम्पनी को अभियुक्त नही बनाया है तथा परिवादी द्वारा यह भी जानकारी करने का प्रयास नही किया गया कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड के चावल के उत्पादनकर्ता कौन रहे हैं। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि उसे मालूम नही है कि हरीपत्ती रायल ब्राण्ड कम्पनी कहा की है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड चावल के उत्पादनकर्ता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नही की गयी तथा उक्त चावल के उत्पादनकर्ता की जानकारी प्राप्त करके उसे क्यों अभियुक्त नही बनाया गया, परिवादी ने स्पष्ट नही किया है। पी0डब्लू0–1 ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि मेरे द्वारा एक पैकेट को खोलकर नमूना लिया गया। जनता का एक गवाह जिसका नाम दिनेश बरूआ था, उसे गवाह बनाया था, यह गवाह मुझे दुकान पर मिला था, यह कुछ खरीदने आया था या बेचने अथवा किस काम से आया था मुझे नही पता। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि दिनांक 29.10.2021 को 02:30 बजे जिस समय परिवादी एवं उसकी टीम द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जा रहा था, उस समय प्रतिष्ठान पर दिनेश बरूआ नाम का व्यक्ति उपस्थित था तथा परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में उक्त दिनेश बरूआ को गवाह बनाया गया है, किन्तु अभियोजन/परिवादी की ओर से उक्त दिनेश बरूआ को न्यायालय में उपस्थित करके परीक्षित नही कराया गया। पी0डब्लू0–1 ने आगे प्रतिपरीक्षा में कहा कि नियमानुसार सैम्पिल लेने के बाद प्रयोगशाला में प्राप्त कराने के चौदह दिन के अन्दर परीक्षण हो जाना चाहिए था। प्रयोगशाला नमूना पहॅुचने के बाद चौदह दिन के अन्दर जॉच हो जानी चाहिए, प्रयोगशाला में नमूना दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हो गया था, नमूने का परीक्षण दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 01.04.2022 के बीच किया गया है। मुझे नही पता कि फूड एनालिस्ट लखनऊ द्वारा विभाग को समयावधि बीत जाने के बाद परीक्षण हेतु कारणों के बारे में सूचित किया हो मुझे ऐसा कोई पत्र नही मिला।

पी0डब्लू0–1 द्वारा अपने बयानो में यह बात स्वीकार की है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का विश्लेषण नमूना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर हो जाना चाहिए और यदि 14 दिन के भीतर नमूने की जॉच सम्भव नही है तो खाद्य विश्लेषक द्वारा इसकी सूचना कारणों सहित अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी जानी चाहिए किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट दिनांकित 02.04.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये चावल के नमूने का विश्लेषण नमूना प्राप्त होने के लगभग 05 माह के बाद खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा किया गया है। खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये चावल के नमूने की जॉच समय पर न होने के सम्बन्ध में कोई सूचना अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नही दी गयी। यदि खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा इसकी सूचना अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी गयी होती तो इसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध होता। किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने की जॉच समय पर न होने की सूचना अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी गयी थी।

पी0डब्लू0–1 ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि हमने सैम्पिल पलास्टिक डिब्बों में लिया था, भले ही कागजातों में कन्टेनर/शीशियॉ में भरकर लेना लिख गया है। कन्टेनर/शीशियॉ कैसे लिख गया मैं इसकी वजह नही बता सकता। परिवादपत्र में समय 11.45बजे ए0एम0/पी0एम0 लिखा है। इसकी मैं कोई वजह नही बता सकता। सभी प्रयोग पर ए0एम0/पी0एम0 व कन्टेनर/शीशिया लिखा हुआ है कोई निश्चित समय व वस्तु नही लिखा है ये रूटीन में लिखा गया है, मैं इसकी वजह नही बता सकता। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये चावल के नमूने को इसके द्वारा प्लास्टिक के डिब्बों में लिया था, किन्तु अपने द्वारा न्यायालय में संस्थित परिवादपत्र में इस साक्षी ने चावल का नमूना कन्टेनर/शीशियों में लिये जाने का कथन किया है। परिवादपत्र में ऐसा क्यों लिखा गया इसकी कोई वजह भी इस साक्षी ने नही बतायी है। इस साक्षी द्वारा अपने द्वारा न्यायालय में संस्थित परिवादपत्र में घटना के समय 11:45बजे ए0एम0/पी0एम0 लिखा गया है, जबकि यदि 11:45ए0एम0 माने तो घटना दिन की होती है तथा यदि 11:45पी0एम0 माने तो घटना रात्रि की हो जाती है। परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में ऐसा क्यों लिखा गया, इसकी कोई वजह भी नही बतायी है। इससे परिवादी के परिवादपत्र में वर्णित तथ्य संदिग्ध हो जा रहे हैं। पी0डब्लू0–1 ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि मैने दुकान पर से कोई कम्प्यूटराईजड बिल नही लिया था, अपने क्रय रसीद पर हस्ताक्षर कराये थे। पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि निरीक्षण

के दौरान अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये 02किलोग्राम चावल का कोई कम्प्यूटराईजड बिल परिवादी द्वारा अभियुक्त से नही लिया गया था बल्कि परिवादी ने उक्त चावल के नमूने के बाबत क्रय रसीद स्वंय तैयार की थी जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये थे। साधारणतः यदि किसी विक्रेता से क्रेता द्वारा कोई वस्तु क्रय की जाती है तो उस वस्तु का बिल भी विक्रेता द्वारा ही दिया जाता है, किन्तु प्रस्तुत मामले में ऐसा नही हुआ है। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों से परिवादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण कथानक सन्देहास्पद हो रहे हैं।

अभियोजन/परिवादी की ओर से अपने कथानक के समर्थन में साक्षी पी0डब्लू0–2 तलहा खालिद को न्यायालय में उपस्थित करके परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपने बयानों में अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये चावल के नमूने के बाबत प्राप्त जॉच आख्या एवं धारा–46(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भेजे गये, नोटिस को न्यायालय में साबित किया है, किन्तु पी0डब्लू0–2 के उक्त बयानों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नही माने जा सकते, जब तक कि अभियोजन परिवादपत्र में वर्णित तथ्यों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित न कर दे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन/परिवादी के कथनानुसार परिवादी एवं उसकी टीम द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से दिनांक 29.10.2021 को निरीक्षण के दौरान हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड के चावल का नमूना लिया गया किन्तु खाद्य विश्लेषक लखनऊ की आख्या दिनांक 02.04.2022 में बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के नमूने का उल्लेख किया है। जिस चावल का नमूना अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिया गया था, उस चावल के नमूने को परिवादी द्वारा परीक्षण हेतु नही भेजा गया था, बल्कि अन्य कम्पनी के चावल के नमूने को भेजकर खाद्य विश्लेषक लखनऊ से जॉच करायी गयी है, तथा उसी जॉच के आधार पर प्रस्तुत परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में संस्थित किया गया है। इसलिए सम्पूर्ण अभियोजन कथानक सन्देहास्पद है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाये।

बचाव पक्ष के उक्त तर्कों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी एवं उसकी टीम द्वारा दिनांक 29.10.2021 को अभियुक्त के प्रतिष्ठान से 25किलोग्राम हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड के चावलों में से 02किलोग्राम चावल का नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया तथा परिवादी द्वारा तैयार किये गये सम्पूर्ण प्रपत्रों में भी अभियुक्त के प्रतिष्ठान से हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड के चावल का उल्लेख किया है, किन्तु खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट दिनांकित 02.04.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट में बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के

प्रतिष्ठान से लिये गये हरीपत्ती रॉयल ब्राण्ड के चावल के नमूने की जॉच खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा नही की गयी बल्कि उनके द्वारा बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के नमूने की जॉच की गयी तथा बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के सम्बन्ध में ही खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.04.2022 में निष्कर्ष निकला है। उक्त के आधार पर भी परिवादी के परिवादपत्र में वर्णित कथानक संदिग्ध हो जा रहे है। न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से सहमत है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के नमूने के प्राप्त होने के 14दिन के भीतर खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण न करने की दशा में, खाद्य विश्लेषक, अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना देगा। किन्तु प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिए गये चावल के नमूने की जॉच खाद्य विश्लेषक द्वारा धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के परन्तुक के अनुसार 14 दिनों के भीतर नही की गयी और न ही इसकी कोई सूचना खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी गयी बल्कि खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये चावल के नमूने की जॉच दिनांक 02.12.2021 से दिनांक 01.04.2022 के मध्य किये जाने का उल्लेख किया है। जिससे स्पष्ट है कि चावल के नमूने की जॉच समय पर न होने के कारण चावल में कीट उत्पन्न हो गये थे। इसलिए खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में चावल के नमूने में जीवित एवं मृत कीट होने का उल्लेख किया गया है। परिवादी द्वारा धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रस्तुत परिवाद, अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में संस्थित किया गया है।

बचाव पक्ष के उक्त तर्कों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम न्यायालय को धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों को देखना आवश्यक है– धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार–जहॉ नमूना धारा–40 के अधीन प्राप्त होता है, वहॉ नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट की एक प्रति, अभिहित अधिकारी को एक प्रति के साथ उस व्यक्ति को भेजेगा जिसने उक्त खाद्य वस्तु क्रय की थी,

परन्तु नमूने की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसका विश्लेषण न हो सकने की दशा में, खाद्य विश्लेषक अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना देगा।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी एवं उसकी टीम द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से दिनांक 29.10.2021 को निरीक्षण के दौरान 02 किलोग्राम चावल का नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया था। परिवादी द्वारा उक्त चावल का नमूना अभिहित अधिकारी पीलीभीत के माध्यम से दिनांक 30.10.2021 को विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक लखनऊ के कार्यालय में नियमानुसार भेजा गया। पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट दिनांकित 02.04.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त चावल का नमूना खाद्य विश्लेषक लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ है तथा खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा उक्त चावल के नमूने का दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 01.04.2022 के मध्य विश्लेषण किया गया तथा खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा उक्त चावल के नमूने के बाबत आख्या दिनांक 02.04.2022 को तैयार की गयी। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की आख्या दिनांक 02.04.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये चावल के नमूने का विश्लेषण धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के परन्तुक के अधीन 14 दिनों के भीतर नही किया गया तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त नमूने की जॉच 14 दिन के भीतर न होने के सम्बन्ध में अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कोई कारण बताते हुए सूचना दी गयी। यहॉ इस बात से इन्कार नही किया जा सकता है कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान से लिये गये चावल के नमूने में खाद्य विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट में इसलिए जीवित एवं मृत कीट पाये गये हैं, क्योंकि चावल के नमूने की जॉच खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना लिये जाने के लगभग 05 माह के बाद की गयी थी तथा इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता कि अधिक दिनो तक चावल के रखे रहने के कारण चावल में कीट उत्पन्न हो गये हो। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संस्थित किये जाने में धारा–46(3)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के परन्तुक में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजन/परिवादी अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त संजय

अग्रवाल पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–26/51,58 व 59(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अपराध में उसे दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद सं0–17289/2022 में अभियुक्त संजय अग्रवाल पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–26/51,58 एवं 59(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से, उसे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र निरस्त किया जाता हैं एवं उसके प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में जमानत दाखिल करें।

दिनांकः 17.10.2025

(सुन्दर पाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं.1, पीलीभीत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 17.10.2025

(सुन्दर पाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं.1, पीलीभीत।